अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 474/2025

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश – प्रथम, नवगछिया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 474/2025
परिवाद वाद संख्या – 192/2024
अन्तर्गत धारा – 498(ए) भा0द0वि0

1. मो0 सलीम ..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ..... अभियोजन पक्ष

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री राधाकृष्ण सिंह
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री परमानंद साह

17.06.2026 आवेदक अभियुक्त मो0 सलीम की ओर से परिवाद वाद संख्या – 192/2024 में गिरफ्तारी की आशंका से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। उभय पक्षों को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य किसी प्रकार का जमानत आवेदन न तो किसी अन्य सत्र न्यायालय में और न हीं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। आगे कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस वाद में दूषित ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है। अभियोजन का केस झुठा एवं मनगढ़ंत है। घटना कुछ भी नहीं है केवल सूचिका द्वारा अपनी क्षमता दिखाने हेतु परिवाद वाद दाखिल किया गया है। परिवादिनी प्रायः किसी अज्ञात के साथ आवेदक के घर से भागी रहती है तथा तीन से चार दिन के बाद वापस घर आती है। आवेदक इस तरह का कल्चर पसंद नहीं करता है। परिवादिनी द्वारा पुरे परिवाद वाद में अपने पति के खिलाफ दहेज या गाली देने का आरोप नहीं लगायी है। आवेदक अभियुक्त धारा 482 (2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत शर्तों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

परिवादिनी खुशबु खातुन के टंकित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि परिवादिनी की शादी 12 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ है तथा चार बच्चा जन्म ले लिया है। शादी के बाद से सभी अभियुक्तगण मो0 सलीम, मो0 साबिर, मो0 इलियास एवं हदीशा खातुन मिलकर आपराधिक साजिश के तहत परिवादिनी के पिता से दहेज में दो लाख रूपया नगद तथा एक मोटरसाईकिल लेने के इरादे से परिवादिनी के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर ससुराल से भगा देते हैं, जो लगातार जारी है पुत्री का वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए परिवादिनी के पिता दहेज में अभियुक्त को कुछ रूपया देता आ रहा है। दिनांक 18.05.24 को सुबह परिवादिनी अपने कमरे में परिवादिनी के साथ सोयी थी लगभग तीन बजे सुबह परिवादिनी के पति कमरा का दरवाजा खोलकर बाहर निकला उसके बाद परिवादिनी की सास हदीश खातुन परिवादिनी के रूम में आकर परिवादिनी को जान मारने के नियत से गला दबाने लगी दर्द और सांस लेने में दिक्कत पर परिवादी जगकर हल्ला करने लगी और पड़ोसी के लोग दौड़कर आ गये इसी बीच मो0 साबिर और मो0 इलियास ने परिवादिनी के सिर को दिवार में पटक दिया तथा मो0 इलियास ने रड से सर पर प्रहार किया जिसके चोट से परिवादिनी बेहोश हो गयी और लोगों के आने से परिवादिनी की जान बच सकी इसी बीच सभी अभियुक्तगण ने परिवादिनी के बक्सा को बर्बाद कर दस हजार रूपया तथा पचास हजार का गहना ल लिया परिवादिनी का पति भी घटना में शामिल था तथा सभी अभियुक्तों के आपराधिक साजिश का परिणाम यह घटना थ। पड़ोस के लोगों द्वारा परिवादिनी के मायके फोन करने पर परिवादिनी अपने भाई के साथ मायके आयी और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरीक मं भर्ती हुअयी जहां स्थिति गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया जहां पर उचित समय पर परिवादिनी का इलाज हुआ। इस घटना का लिखित शिकायत खरीक व भवानीपुर थाना में परिवादिनी ने दिया लेकिन कार्रवाई न किया गया लाचार होकर परिवाद पत्र दाखिल किया जा रहा है।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 474/2025

लगातार

17.06.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त परिवाद वाद का नामजद है तथा सूचिका का पति है, जिसके विरूद्ध प्राथमिकी में अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत परिवादिनी के पिता से दहेज में दो लाख रूपया तथा एक मोटरसाईकिल लेने से इरादे से परिवादिनी के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते मारपीट कर ससुराल से भगा देने तथा परिवादिनी का बक्सा बर्बाद करते हुए दस हजार रूपया तथा पचास हजार का गहना ले लिये जाने के बाबत परिवाद वाद दर्ज कराया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप गंभीर एवं अजमानतीय है। अतः जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रचालित अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323,327,307,379,498(ए)/34,120बी भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत परिवाद वाद दर्ज कराया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498(ए) भा0द0वि0 के अंतर्गत सम्मन निर्गत किया गया है। सूचिका न्यायालय में उपस्थित होकर कहती है कि हमको और हमारे बच्चे को खाना खर्चा नहीं देता है तथा मारता पीटता है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल करते हुए कहा गया है कि वह अपनी पत्नी परिवादिनी खुशबु खातुन को पत्नी को ससम्मान रखेंगे तथा परिवादिनी को मो0 5,000/– (पांच हजार रूपया) प्रतिमाह देंगे। इस संबंध में परिवादिनी की ओर से बिहार ग्रामीण बैंक में परिवादिनी के खाता सं0 36160110022561 दाखिल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त मो0 सलीम की ओर से मो0 10,000/– रूपये के समतुल्य राशि के दो–दो जमानतदारों के प्रतिभुओं का बंध पत्र विचारण न्यायालय में गिरफतार होकर आने या चार सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण कर दाखिल किये जाने पर एवं न्यायालय के संतुष्टि पर धारा 482 (2) बी0एन0एस0 के शर्तों के अनुपालन के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। शर्त है कि आवेदक अभियुक्त परिवादिनी को उनके बैंक खाते में प्रतिमाह मो0 5,000/– (पांच हजार रूपया) देंगे तथा परिवादिनी को भी यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पति के साथ रहेंगी। ऐसा नहीं होने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया जा सकता है। तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है।

ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
नवगछिया, भागलपुर।